न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 84 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खाँ, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

श्री कालूराम पुत्र श्री सुवालाल माली, मालीघाटी, मसूदा, जिला–अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 02.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2018 को थानाधिकारी, पुलिस थाना, मसूदा से दूरभाष पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर को, अप्रार्थी द्वारा गैस सिलण्डरों के अवैध भण्डारण एवं रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के आवास स्थल की जांच करने पर दस घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	484216	BPC	16.0	30.2	14.2	Domestic
2	630295	BPC	15.8	30.0	14.2	Domestic
3	8373	BPC	16.2	30.4	14.2	Domestic
4	226386	BPC	15.3	29.5	14.2	Domestic
5	227005	BPC	15.9	30.0	14.1	Domestic
6	66378	BPC	15.9	30.1	14.2	Domestic
7	431244	BPC	16.1	30.2	14.1	Domestic
8	137888	BPC	16.7	30.8	14.1	Domestic
9	225814	BPC	15.6	29.8	14.2	Domestic
10	797908	INDANE	16.9	16.9	0	Domestic

एवं 01 रिफिलिंग पम्प को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण, बिक्री तथा गैस रिफिलिंग कार्य में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (1)(ख), 4(1)(क), क्लॉज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः दस घरेलू गैस सिलेण्डर मय 127.5 किलोग्राम एलपीजी एवं 1 रिफिलिंग पम्प को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर राजभारत ग्रामीण गैस वितरक ऐजेन्सी, मसूदा के मैनेजर श्री विष्णु तेली पुत्र श्री टीकमचन्द तेली, निवासी महावीर कॉलोनी, मसूदा को सुपुर्दगी में दिये गये।

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा दस घरेलू गैस सिलेण्डर मय 127.5 किलोग्राम एलपीजी एवं एक रिफिलिंग पम्प को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 22.06.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने आवास स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण, बिकी तथा गैस रिफिलिंग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण, बिकी तथा गैस रिफिलिंग कार्य में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (1)(ख), 4(1)(क), क्लॉज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दस घरेलू गैस सिलेण्डर मय 127.5 किलोग्राम एलपीजी तथा एक रिफिलिंग पम्प को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। उनके द्वारा जरिये जवाब/साक्ष्य, सबूत के प्रार्थना पत्र तथ्यों का खण्डन भी नहीं किया गया है। वक्त जांच अप्रार्थी के आवास स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण, किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दस घरेलू गैस सिलेण्डर मय 127.5 किलोग्राम एलपीजी तथा 01 रिफिलिंग पम्प को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner